गुजरात में दूर-संचार सुविधायें

1959. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, यदि हां, तो ऐसी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए चुने गये स्थानों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी, हां। वर्ष 1992–93 के दौरान गुजरात में निम्नलिखित दूर-संचार सुविधाएं प्रदान करने की योजना बनाई गई है :—

(i) 65 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने हैं ।

(ii) 1,50,000 अतिरिक्त एक्सचेंज लाइनें जोड़ी जानी हैं ।

(iii) 1,00,000 नई डायरेक्ट एक्सचेंज लाइनें प्रदान की जानी हैं ।

(iv) 51 नए एस टी डी स्टेशन खोले जाने हैं ।

(v) 3000 नए ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी हैं ।

(vi) 1440 स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए जाने हैं ।

(vii) 1900 एस टी डी सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए जाने हैं ।

(ख) उपर्युक्त दूरसंचार सुविधाएं गुजरात के सभी 19 जिलों में प्रदान करने का प्रस्ताव है ।

संचार मंत्रालय के अधीन प्रशासनिक विभाग की समीक्षा

1960. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दिल्ली में स्थित प्रशासनिक विभाग के कार्यकरण की कोई समीक्षा की है,

(ख) यदि हां, तो गत चार वर्षों के दौरान समीक्षा कब की गई थी और उनके क्या निष्कर्ष निकले थे, और

(ग) सरकार ने उक्त निष्कर्षों के आधार पर दिल्ली टेलीफोन विभाग के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) और (ख) संचार मंत्रालय के अधीनस्थ विभाग नियमित प्रक्रिया के रूप में और निर्धारित अनुसूचि के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को छोड़कर, दिल्ली के क्षेत्रीय एककों का प्रशासनिक निरीक्षण करते हैं । दूरसंचार विभाग द्वारा विगत चार वर्षों के दौरान दिल्ली में निम्नलिखित कार्यालयों का निरीक्षण किया गया है :—

(1) मुख्य महाप्रबंधक (अनुरक्षण) का कार्यालय, उत्तरी दूरसंचार क्षेत्र ।

(2) दूरसंचार निदेशालय के दो अनुभागों की पद्धतियों का अध्ययन ।

जहां तक डाक विभाग का संबंध है, विगत चार वर्षों के दौरान दिल्ली सर्किल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल के कार्यालय के प्रशासनिक निरीक्षण दो बार किए गए हैं । डाक निदेशालय के 9 अनुभागों के संबंध में पद्धति संबंधी अध्ययन भी किया गया है ।

कुल मिलाकर, ये एकक संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं और प्रशासनिक निरीक्षणों के दौरान कोई उल्लेखनीय कमी नहीं पाई गई थी ।

(ग) दिल्ली टेलीफोन अप्रैल, 1986 से एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात् महानगर टेलीफोन निगम लि. के प्रशासनिक नियंत्रण में है । मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रशासनिक निरीक्षण नहीं किया जाता है ।